अपील सूचना अधिकार संख्या 04/2021 (GCMS 2021/04) जसवीर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी वार्ड नं. 3, अमरपुरा जाटान (33 एसटीजी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ बनाम प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जसवीर सिंह स्वयं उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी की ओर से श्री अशोक शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने दिनांक 02.07.2020 को लोक सूचना अधिकारी– जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के नाम से आवेदन प्रस्तुत करके सूचना चाही थी और लोक सूचना अधिकारी से उसे छांयाप्रति प्राप्त हुई है इसलिए पूर्ण विवरण सहित सूचना प्राप्त करने के लिए यह अपील पेश की गई है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी जसवीर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा से निम्न सूचना चाही थी :

> मुझ आवेदक जसवीर सिंह द्वारा दिनांक 05.02.2020 को श्रीमान् जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के नाम संबोधित पत्र कि प्रतिलिपि कार्यवाही बाबत श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को भी प्रेषित की गई थी, जो कि विषय पीलीबंगा में नवमण्डी यार्ड रोड पर संचालित कल्पतरू–हॉस्पीटल के संचालक व श्रीगंगानगर में संचालित जन सेवा हॉस्पीटल से संबंधित थी। जिसके संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा कि गई समस्त कार्यवाई से संबंधित, पूर्ण जानकारी निम्न बिंदुओं के विवरण सहित उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1. उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में शुरू से लेकर वर्तमान तक, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा कि गई पूर्ण कार्यवाई कि लिखित में, जानकारी तथा कि गई समस्त कार्यवाई से संबंधित समस्त मूल दसतावेजों, जारी पत्रों लिये गये ब्यानों, लिये गये अंतिम निर्णय, कि गई पूर्ण जांच कि प्रमाणित छाया प्रतियें उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
2. इस संबंध में मुझ आवेदक को, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा जारी सभी पत्रों कि प्रमाणित प्रतियों उपलब्ध करवायें।
3. श्रीगंगानगर में संचालित जन सेवा हॉस्पीटल कि शुरूआत से लेकर वर्तमान तक, इइस हॉस्पीटल को, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा, जब–जब, जिस भी संबंध में, जो भी पत्र/निर्देश /आदेश, जारी किये गये, उन सभी कि प्रमाणित छाया प्रतियों उपलब्ध करवायें।

प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 37(15)(12)चिकि./विकास/2020/839 दिनांक 10.08.2020 से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई गई है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने बाबत प्रार्थी श्री जसवीर सिंह पुत्र बलवंत सिंह साकिन अमरपुरा राठान जिला हनुमानगढ के प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस पत्र के संलग्नन कर भिजवाई जा रही है। उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों पर नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें।
संलग्न उपर्युक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी
विकास शाखा, कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ41(1)(1)आर.टी.आई./विकास/20/3831 दिनांक 20.07.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार सूचना दी है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के उक्त प्रासांगिक पत्र के द्वारा अग्रेषित आपके आवेदन अनुसार आपके द्वारा, सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना (बिन्दु संख्या 01 से 03) के क्रम में कार्यालय हाजा में उपलब्ध सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको प्रेषित है।
>
> **संलग्न : उपर्युक्तानुसार।**
>
> अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) एवं
> प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2020 के सम्बन्ध प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 20.07.2020 से प्रार्थी को उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैं एवं उक्त प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर से होने के कारण पत्र की प्रति दिनांक 10.08.2020 को उन्हें प्रेषित की जा चुकी है और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध **प्रथम अपील की सुनवाई के लिए अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिकृत नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील क्षेत्राधिकार न होने के कारण खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि चाहे तो चिकित्सा विभाग के सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति एवं मूल रिकॉर्ड प्रभारी अधिकारी,** विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगांगनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। रिकॉर्ड की एक प्रति पत्रावली में शामिल की जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर